चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक : कमेटी सैल/4182
दिनांक: 18.11.2019

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक
राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित संस्थान/महाविद्यालय
सम्बद्ध चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 16.11.2019 के मद संख्या–7 (1) के संकल्पानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय/संस्थान में संचालित सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में बनाये गये नियम जिनको विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 09.01.2018 को जारी किया गया था। उन नियमों के अनुसार अगर परीक्षार्थी अपने पूर्व के सेमेस्टर की परीक्षा में परीक्षा फार्म न भरते हुए परीक्षा में सम्मिलित नही हुआ है तो वह विद्यार्थी अपने आने वाले अगले सेमेस्टर की परीक्षा में परीक्षा फार्म न भरते हुए सम्मिलित नही हो पायेगा। परीक्षा समिति द्वारा इसमें संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया है कि अगर विद्यार्थी द्वारा अपने पूर्व के सेमेस्टर में परीक्षा फार्म नही भरा गया है और संस्थान द्वारा उसकी वर्तमान उपरिथिति को प्रमाणित किया गया है ऐसे विद्यार्थी अपने वर्तमान सेमेस्टर का परीक्षा फार्म भरकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें और अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरान्त छूटे हुए सेमेस्टर की उपस्थिति पूर्ण करने के पश्चात सम्बन्धित सेमेस्टर का परीक्षा फार्म भूतपूर्व छात्र के रूप में भरकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें।

अतः उपरोक्त के आलोक में परीक्षा समिति के निर्णयानुसार जिन विद्यार्थियों ने अपने पूर्व के सेमेस्टर की परीक्षा का परीक्षा फार्म नही भरा है अर्थात परीक्षा में सम्मिलित नही हुआ है ऐसे विद्यार्थी सम्बन्धित संस्थान द्वारा अपनी वर्तमान सेमेस्टर की उपस्थिति को प्रमाणित कराते हुए अपने वर्तमान सेमेस्टर की परीक्षा में परीक्षा फार्म भरकर सम्मिलित हो सकेगें। उक्त नियमानुसार आगामी होने वाली नवम्बर–दिसम्बर 2019 की विषम सेमेस्टर परीक्षाओं में सम्बन्धित विद्यार्थियों को परीक्षा फार्मो को भरने हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाईट को दिनांक 19.11.2019 से दिनांक 21.11.2019 तक खोला जा रहा है। सम्बन्धित विद्यार्थियों को सूचना प्रेषित करते हुए उपस्थिति प्रमाणित कर विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म नोमिनल रोल के साथ दिनांक 22.11.2019 तक विश्वविद्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्पादक समस्त समाचार पत्रों को इस आशय से प्रेषित कि वे छात्रहित में सूचना जारी करने का कष्ट करें।
2. प्रतिकुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
3. वैयक्तिक सहायक कुलपति को कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
4. आशुलिपिक वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
5. उपकुलसचिव कुलसचिव (परीक्षा)।
6. लेखाधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
7. प्रभारी, (सीक्रेसी), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
8. प्रभारी, व्यावसायिक पाठ्यक्रम (रिजल्ट सैल), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
9. प्रभारी (सामान्य/भण्डार)।
10. आशुलिपिक कुलसचिव।
11. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता।
12. प्रभारी, वेबसाइट/कम्प्यूटर केन्द्र।
13. विश्वविद्यालय सूचना पट।
14. प्रभारी, प्राधिकृत एजेन्सी।

परीक्षा नियंत्रक